

INDUSTRIES(Gr-I)DEPARTMENT**NOTIFICATION****Jaipur, January 25, 2011**

G.S.R. 85.—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Ordinance, 2010 (Ordinance No. 04 of 2010), the State Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called The Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Rules, 2011.

(2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Acknowledgement" means the acknowledgement issued for receipt of completed application either in physical or electronic format under these rules;

(b) "Application Form" means the form either in physical or electronic format as prescribed under any Rajasthan Laws/Orders/Guidelines or as notified by the State Government;

(c) "Authorized Officer" means General Manager, District Industries Centre or an officer authorized by him not below the rank of District Industries Officer, in case of Nodal Agency for the District Empowered Committee and an officer authorized by Commissioner, Investment and NRI (Bureau of Investment Promotion) in case of Nodal Agency for the State Empowered Committee;

(d) "District Empowered Committee" means the committee constituted under sub-section (3) of section 3 of the Ordinance;

(e) "Fee" means the fee prescribed under any Rajasthan Laws/Orders/Guidelines or as notified by the State Government, for submitting application for permissions/

no objection certificate/clearance/allotment/consent/ approval/ registration/ Licence and the like;

(f) "Form" means Form appended to these rules;

(g) "Nodal Agency" means the agencies notified under sub-section (1) or (2) of section 5, as the case may be, of the Ordinance;

(h) "Ordinance" means the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Ordinance, 2010 (Ordinance No. 04 of 2010);

(i) "Register of Applications" means register of applications received by the authorized officer either in physical form or electronic form;

(j) "Schedule" means Schedule appended to these rules;

(k) "Section" means a section of the Ordinance;

(l) "State Empowered Committee" means the committee constituted under sub-section (1) of section 3 of the Ordinance; and

(m) "Time Limit" means the number of working days specified in Schedule-I or Schedule-II, as the case may be.

(2) Word or expression used in these rules but not defined in these rules have the same meaning as assigned to them in the Ordinance.

3. Application.-(1) Every applicant seeking for clearances required for establishment of a enterprise shall apply in the Application Form either in electronic format or in physical format. Where the clearance is not covered by the prescribed Application Form, the applicant shall file application in the form specified by the Government from time to time.

(2) Every applicant seeking for clearance required for operation of an enterprise before commencement of commercial production, shall apply in the Application Form either in electronic format or in physical format. Where the clearance is not covered by the prescribed Application Form the applicant shall file application in the form specified by the Government from time to time.

(3) The Application Form duly filled along with relevant enclosures, certificates, proof of fee deposit and attachments can be submitted either in electronic format or in physical format.

(4) All applicants shall furnish the self certification in Form-1, along with the Application Form.

(5) Before issuing the acknowledgement, the nodal agency, shall satisfy itself that-

(a) all relevant columns of the Application Form are filled completely;

(b) all the relevant and prescribed documents have been enclosed;

(c) the prescribed fees receipts have been enclosed; and

(d) self certification has been furnished by the applicant.

4. Processing and monitoring of applications at the level of Nodal Agency.

(1) The authorized officer shall receive the application form and assist the investor in completing the application form and he shall issue acknowledgement of completed application form in Form-2.

(2) Immediately after issue of the acknowledgement the particulars of the application submitted shall be entered by the authorized officer in the register of applications.

(3) The Register of applications shall be scrutinized and verified by the authorized officer at the end of each working day.

(4) The Authorized Officer shall on receipt of application, within the time specified in these rules, forward the same to the Competent Authority for disposal within time limit specified in these rules. The applications so forwarded shall be monitored by the concerned Nodal Agency.

(5) The Competent Authority shall process the application and communicate the decision to the nodal agency within the time limit specified in these rules.

(6) The Application on which the Competent Authority has taken a decision within the prescribed time limit, the decision so taken shall be entered into the Register of applications and the

status of the applications shall be submitted by the Nodal Agency to the State Empowered Committee or the District Empowered Committee, as the case may be, in the next meeting of the concerned Empowered Committee.

(7) The Application on which the Competent Authority has failed to take a decision within the prescribed time limit, the Nodal Agency shall place the application before the State Empowered Committee or the District Empowered Committee, as the case may be, for consideration in the next scheduled meeting of the concerned Empowered Committee within the prescribed time limit. In case the concerned Empowered Committee is unable to meet or otherwise unable to consider application, placed before it by the Nodal Agency, immediately, the Nodal Agency shall submit the application to the Chairperson of the concerned Committee. The Chairperson of the Committee, after recording the reasons in writing, may decide the application and such decision shall be placed before the concerned Committee in its next meeting. The decision taken by the chairperson on the application shall be final subject to the decision of the Committee.

(8) The Nodal Agency of State Empowered Committee shall receive Application for relaxations, exemptions and concessions for grant of customized package and seek comments of the concerned Departments or Authorities. The Nodal Agency shall submit the application for the customized package before the State Empowered Committee after the expiry of the period as specified in these rules for the comments from the concerned departments or authorities along with the comments received and even when the comments are not received.

5. Processing and monitoring of applications at the level of Competent Authority.-(1) The Competent Authority shall, after receipt of the application from the Nodal Agency for permission, no-objection certificate, clearance, allotment, consent, approval, registration, enrolment, licence and the like shall consider and take decision on the application within the time limit specified in these rules.

(2) The Competent Authority may obtain additional information, which it considers necessary for taking a decision, from the applicant. Such additional information can be obtained only once and for seeking such information the requisition letter shall be sent through the Nodal Agency in both the cases of the applications process i.e. electronically or physically. The applicant shall submit the additional information to the nodal agency, while counting the time limit, the time taken by the applicant in submitting additional information shall not be counted.

(3) The Competent Authority after taking a decision on the application within the specified time limit, shall communicate the same to the applicant investor and will send a copy of such communication to the concerned Nodal Agency within a period of 3 days.

(4) In cases of applications in which the Competent Authority has failed to take a decision within the prescribed time limit, the Competent Authority shall forward the application along with the record of processing of the application to the Nodal Agency within three working days from the expiry of the specified time limit.

6. Time limits for processing and disposal of applications.-(1) The time limits for processing and disposal of applications shall be as specified in Schedule-I or Schedule-II, as the case may be.

(2) The State Government may by notification in the Official Gazette, add to or omit from, or otherwise amend or modify the Schedules appended to these rules and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

7. Monitoring.-Status report of processing of the application for permissions and/or customized packages, concessions, exemptions or relaxations, shall be placed before the District Empowered Committee and the State Empowered Committee, as the case may be by the respective Nodal Agency.

8. Jurisdiction of the State Empowered Committee and the District Empowered Committee.-(1) The District

Empowered Committee shall be competent to consider and dispose of the application for permissions for investment proposals up to ₹10.00 crores.

(2) The State Empowered Committee shall be competent to consider and dispose of the application for permission for investment proposals above ₹10.00 crores.

(3) All applications for customized packages, concessions, exemptions or relaxations shall be considered by the State Empowered Committee and this committee shall submit its recommendations to the Council of Ministers.

9. Miscellaneous.-(1) In cases where the decision are taken by the District Empowered Committee because of the failure of the Competent Authority to decide the application for permission submitted by the applicant within the time limit, specified in these rules, the District Empowered Committee may recommend to the Government through the State Empowered Committee for appropriate action against the concerned Competent Authority which has failed to decide the application within the specified time limit.

(2) In cases where the decision are taken by the State Empowered Committee because of the failure of the Competent Authority to decide on the application for permission submitted by the applicant, State Empowered Committee may recommend to the State Government for appropriate action against the concerned Competent Authority which has failed to decide the application within the specified time limit.

(3) The State Government may assign any other function as it deems proper to the State Empowered Committee and the District Empowered Committee.

10. Removal of doubt.-If any difficulty arises in the application or interpretation of these rules, it shall be decided by

the State Government in the Industries Department whose decision thereon shall be final.

Schedule-I

See Rule 6

Time Limit for Various Permissions/Clearances

S. No.	CONCERNED DEPARTMENTS/ ORGANIZATION			PERMISSIONS/ CLEARANCES	TIME LIMIT (WITHIN WORKING DAYS)
1	2	3	4	5	6
1.	Labour & Employment Department	(a)		Site Clearance for hazardous industries from the point of view of health safety and welfare of workers	45 days from date of receipt of complete application
	I. Factories and Boilers Inspectorate	(b)		Approval of factory layout plan under Factories Act, 1948	30 days from date of submission of complete application along with map
		(c)		License for running the factory to be issued by the field office	45 days after receipt of complete application
		(d)		Registration of Boiler by Chief Inspector of Boilers	After the receipt of complete application
		(i)		Provisional order	30 days
		(ii)		Final order	45 days
	II. Labour Department	(a)		Registration of Shops and Commercial	10 days

1	2	3	4	5	6
				Establishments under Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958	
		(b)		Registration of Establishments under The Motor Transport Workers Act, 1961	10 days
		(c)		Registration of Establishments under The Bidi and Cigar Workers Act, 1966	10 days
		(d)		Under Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970	
		(i)		Registration of Principal Employers Establishments	30 days
		(ii)		Issuance of Licence to Contractor for employment of contract labours	10 days
		(e)		Permission to establishments having more than 50 labours under Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946	45 days

1	2	3	4	5	6
		(f)		Registration of Establishments under Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and conditions of Services) Act, 1996	15 days
2.	Commercial Taxes Department	(a)		Registration under VAT Act	24 hours
		(b)		Registration under CST Act	24 hours
		(c)		Tax Clearance Certificate	1 day in case of non-default of tax payment
3.	Department of Technical Education	(a)		Issue of views of the State Government/ NOC to establish ITI, Polytechnic, Engineering College, MBA, MCA institutes in the state	30 days from receipt of information of filing of an application to AICTE in the prescribed format
4.	Revenue Department	(a)		Land conversion— Conversion of land use under Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural Purposes in Rural Areas) Rules, 2007	
		(i)		up to 10 hectares	30 days from submission

1	2	3	4	5	6
					of completed application to District Collector
			(ii)	above 10 hectares	60 days from submission of completed application to State Government
		(b)		Land Allotment— under Rajasthan Land Revenue (Industrial Area Land Allotment) Rules, 1959	
			(i)	In case allotment is to be made at the District level	30 days from submission of completed application to District Collector
			(ii)	In case Government's approval is required	60 days from submission of completed application to State Government
		(c)		Exemption in the land ceiling limit	60 days at the level of State Government from the date of

1	2	3	4	5	6
					submission of application in the District Collector's office
5.	Energy Department (Jaipur Vidhyut Vitran Nigam Ltd.)			Release of power connection	
		(a)		For loads up to 25 kw	
			(i)	Issue of Demand Notice	21 days from receipt of application
			(ii)	Release of connection	30 days after compliance of demand notice if no augmentation is required, otherwise 45 days
		(b)		For loads above 25kw and up to 300 kw	
			(i)	Issue of Demand Notice	21 days from receipt of application
			(ii)	Release of connection	60 days after compliance of Demand Notice.
		(c)		For loads above 300 kw	

1	2	3	4	5	6
				and up to 2000 kw	
		(i)	Issue of Demand Notice		21 days from receipt of application
		(ii)	Release of connection		60 days after compliance of Demand Notice.
		(d)	For loads above 2000 kw and up to 3000 kw		
		(i)	Issue of Demand Notice		60 days from receipt of application
		(ii)	Release of connection		60 days after compliance of Demand Notice.
		(e)	For load above 3000 kw and up to 5000 kw		
		(i)	Issue of Demand Notice		21 days from receipt of application
		(ii)	Release of connection		120 days after compliance of Demand Notice.
6.	Tourism Department	(a)	Project Approval		45 days from the date of submission of complete application

1	2	3	4	5	6
7.	RIICO	(a)	Sanction of loan	40 days	
		(b)	Allotment of plots in Industrial Areas	30 days	
		(c)	Issue of NOC to the authority concerned regarding conversion of land use of the agriculture land— at Unit Office Level	15 days	
		(d)	Transfer permission in case of sale of plot by the allottee— at Unit Office Level	15 days	
		(e)	Transfer permission in case of death of the plot holder— at Unit Office Level	15 days	
		(f)	Merger of Plots— at Unit Office Level	15 days	
		(g)	Restoration of a cancelled Plot— at Unit Office Level	15 days	
		(h)	Compounding of unauthorized constructions in an allotted plot— at Unit Office Level	15 days	
		(i)	Allotment/Regularization of strip of land/excess land— at Unit Office Level	15 days	
		(j)	Extension of time period for payment of		

1	2	3	4	5	6
				development charges—	
				at Unit Office Level	15 days
				at Head Office Level	25 days
		(i)		Extension of time period for making utilization of the allotted plot (completion of the project)	
				at Unit Office Level	15 days
				at Head Office Level	25 days
		(j)		Permission to sub-divide the allotted plot—at Head Office Level	45 days
		(k)		Conversion/change in land use of an allotted plot—at Head Office Level	30 days
		(l)		Relaxation in set-backs—	
				at Unit Office Level	15 days
				at Head Office Level	30 days
8.	Agriculture / Agriculture Marketing Department	(a)		Fertilizer— Permission/ Authorization/ Manufacturing Certificate for— a. Fertilizer—100% water soluble/ micro particle mixture	

1	2	3	4	5	6
				b. Bio-Fertilizer c. Carbonic Fertilizer— Compost/wormy compost i.) Sale authorization under Section 9 of Fertilizer (Control) Order, 1985 ii) Manufacturing Certificate under Section 15 of Fertilizer (Control) Order, 1985	30 days 45 days
		(b)		Phyto-Sanitary Certificate	5 days after receipt of test report from laboratory
9.	UDH Department (JDA/UITs)	(a)		90B of Agriculture Land	90 days
		(b)		Conversion of land use from residential to commercial	60 days
		(c)		Land conversion from agriculture land to non-agriculture land	60 days
		(d)		Issuance of Lease Deed for residential/ institutional and commercial plots	26 days

1	2	3	4	5	6
		(e)	Allotment of institutional land except the allotment of land through lottery/auction and of the developed land given as compensation for Government/ Semi-Government departments/ institutions and acquired land—under instruction of Urban Development and Local Self Department dated 4-1-2010	60 days	
		(f)	Building map approval of all kinds of institutional and commercial buildings except residential exceeding 500 sq.mtrs.	40 days	
		(g)	Approval of layout of the Scheme	60 days	
		(h)	Transfer of title of the plot in <i>Nizi Khatedari</i> and Development Authority's schemes	20 days	

1	2	3	4	5	6
		(i)		Title transfer in the scheme of the <i>Grah Nirman Sahakari Samiti</i>	20 days
		(j)		Sub-division and reorganization of residential plots upto 1500 sq.mtrs.	25 days
		(k)		Approval for construction for residential plots upto 500 sq.mtrs.	22 days
10.	Medical & Health Directorate	(a)		Drug License	
		(i)		Wholesale	15 days
		(ii)		Retail	15 days
		(b)		Manufacturing of gauge bandage, cotton, repacking	45 days
Schedule-II See Rule 6 Part-A Time Limit for Nodal Agency for State Empowered Committee/District Empowered Committee					
S. N.	TIME LIMIT FOR			TIME LIMIT (WITHIN WORKING DAY)	
1	2	3	4	5	6
1.	Processing of the application received from the investor			1 day	

1	2	3
2.	Forwarding the application to the Competent Authority	5 days after completion of processing mentioned at S.No. 1
3.	Forwarding the requisition letter of additional information sought by the Competent Authority	1 day
4.	Forwarding the information of additional information received from the applicant to the Competent Authority	1 day
5.	Nodal Agency to place the application for permission—	
(i)	before the concerned Empowered Committee for decision in cases where the concerned competent authority has failed to decide the application within the prescribed time limit	10 days counted from the receipt of application along with record of processing of the application to the Nodal Agency as per Rule 5(4)
(ii)	before the chair person of the concerned Empowered Committee in case the Committee enable to meet or otherwise enable to consider the application immediately	5 days
6.	Comments to be asked from the Competent Authority/concerned Departments or Authority on application/request for concessions, exemptions or relaxations or grant of Customized Packages	2 days from the receipt of the application/request
7.	Submission of the comments, if received/not received within the time limit prescribed for Competent Authority/concerned Departments or Authority, to the concerned Empowered Committee	5 days

Part-B**Time Limit for State Empowered Committee for submitting recommendations to the Council of Ministers**

S. N.	TIME LIMIT FOR	TIME LIMIT (WITHIN WORKING DAY)
1.	Submission of recommendations on the application/request for concessions, exemptions or relaxations or grant of Customized Packages to the Council of Ministers	30 days

Part-C

Time Limit for Competent Authority/concerned Departments or Authority for submitting comments asked to the Nodal Agency on application/request for concessions, exemptions or relaxations or grant of Customized Packages shall be 25 working days.

Part-D

Time limit for the State Empowered Committee/District Empowered Committee for processing the application for permissions/clearances in case the Competent Authority has fail to take a decision in the prescribed time limit shall be 30 working days counted from the receipt of application along with record of processing of the application to the Nodal Agency as per Rule 5(4).

FORM-1**See Rule 3(4)****Self-Certification**

I/We _____ S/o. _____
 R/o. _____ and I am
 authorized signatory for M/s. _____,
 hereby state as under:-

1. That I/We have applied for _____ under
 the provisions of the Rajasthan Enterprises Single Window
 Enabling and Clearance Ordinance, 2010.

2. That I/We have gone through all the relevant laws and undertake to abide by the same.

Authorized Signatory

Place	For M/s.	2
Date		1
FORM-2 See Rule 4(1) Government of Rajasthan Acknowledgement by		

Receipt No./Registration ID

Date

Received from M/s. _____
 application form for _____
 along with following documents:

1.

2.

3.

4.

Signature of Authorized Officer
 with Seal

FORM-1

[No. F. 14 (5) Udyog/1/2010]

By Order of the Governor,

श्याम लाल गुर्जर

Deputy Secretary to Government,

and I am

authorized signatory for M/s. _____

herby state as under:-

1. That I/We have applied for _____ under _____

the provisions of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Ordinance, 2010.

Government Central Press, Jaipur.



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

माघ 6, बुधवार, शाके 1932—जनवरी 26, 2011
Magha 6, Wednesday, Saka 1932—January 26, 2011

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये
गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित
करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

उद्योग (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 25, 2011

जी.एस.आर. 85:—राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन
अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 4) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम राजस्थान उद्यम एकल
खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से ही प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अभिस्वीकृति” से इन नियमों के अधीन संपूरित आवेदन की प्राप्ति के
लिए या तो भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूपविधान में जारी की गयी
अभिस्वीकृति अभिप्रेत है;

(ख) “आवेदन प्ररूप” से किन्हीं राजस्थान विधियों/आदेशों/मार्गदर्शक
सिद्धान्तों के अधीन यथा-विहित या राज्य सरकार द्वारा यथा-
अधिसूचित या तो भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूपविधान में प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) “प्राधिकृत अधिकारी” से जिला सशक्त समिति के लिए नोडल एजेन्सी
की दशा में प्रधान प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र या उसके द्वारा प्राधिकृत
कोई अधिकारी, जो जिला उद्योग अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो
और राज्य सशक्त समिति के लिए नोडल एजेन्सी की दशा में आयुक्त,
विनिधान और एनआरआई (विनिधान संवर्धन ब्यूरो) द्वारा प्राधिकृत कोई
अधिकारी अभिप्रेत है ;

- (घ) "जिला सशक्त समिति" से अध्यादेश की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;
- (ङ) "फीस" से अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाणपत्र/अनुज्ञापन/आवंटन/ सहमति/ अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति इत्यादि के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए किन्हीं राजस्थान विधियों/आदेशों/मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन विहित या राज्य सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित फीस अभिप्रेत है ;
- (च) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;
- (छ) "नोडल एजेन्सी" से अध्यादेश की धारा 5 की उप-धारा (1) या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचित एजेन्सियां अभिप्रेत हैं ;
- (ज) "अध्यादेश" से राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 4) अभिप्रेत है ;
- (झ) "आवेदनों का रजिस्टर" से या तो भौतिक प्ररूप या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया आवेदनों का रजिस्टर अभिप्रेत है ;
- (ञ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ट) "धारा" से अध्यादेश की कोई धारा अभिप्रेत है ;
- (ठ) "राज्य सशक्त समिति" से अध्यादेश की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ; और
- (ड) "समय-सीमा" से अनुसूची-1 या, यथास्थिति, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट कार्य दिवसों की संख्या अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें अध्यादेश में समनुदिष्ट किया गया है ।

3. आवेदन.—(1) किसी उद्यम की स्थापना के लिए अपेक्षित अनुज्ञापन चाहने वाला प्रत्येक आवेदक या तो इलेक्ट्रॉनिक रूपविधान में या भौतिक रूपविधान में के आवेदन प्ररूप में आवेदन करेगा । जहां अनुज्ञापन विहित आवेदन प्ररूप में समाविष्ट नहीं होता हो वहां आवेदक सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन फाइल करेगा ।

(2) वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के पूर्व किसी उद्यम के प्रचालन के लिए अपेक्षित अनुज्ञापन चाहने वाला प्रत्येक आवेदक या तो इलेक्ट्रॉनिक रूपविधान में या भौतिक रूपविधान में के आवेदन प्ररूप में आवेदन करेगा । जहां अनुज्ञापन विहित आवेदन प्ररूप में समाविष्ट नहीं होता हो वहां आवेदक सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन फाइल करेगा ।

(3) सुसंगत संलग्नकों, प्रमाणपत्रों, फीस निक्षेप के सबूत और संयोजनों के साथ सम्यक् रूप से भरा हुआ आवेदन प्ररूप या तो इलेक्ट्रॉनिक रूपविधान में या भौतिक रूपविधान में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(4) समस्त आवेदक आवेदन प्ररूप के साथ प्ररूप-1 में स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करेंगे।

(5) अभिस्वीकृति जारी करने के पूर्व, नोडल एजेन्सी स्वयं का समाधान करेगी कि—

(क) आवेदन प्ररूप के समस्त सुसंगत स्तम्भ पूर्ण रूप से भरे गये हैं;

(ख) समस्त सुसंगत और विहित दस्तावेज संलग्न कर दिये गये हैं;

(ग) विहित फीस की रसीदें संलग्न कर दी गयी हैं; और

(घ) आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणन प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. नोडल एजेन्सी के स्तर पर आवेदनों पर कार्यवाही और मानीटर करना—

(1) प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्ररूप प्राप्त करेगा और आवेदन प्ररूप को पूर्ण करने में विनिधानकर्ता की सहायता करेगा और वह प्ररूप-2 में संपूरित आवेदन प्ररूप की अभिस्वीकृति जारी करेगा।

(2) अभिस्वीकृति जारी करने के तुरन्त पश्चात् प्रस्तुत आवेदन की दिशिष्टियां प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदनों के रजिस्टर में प्रविष्ट की जायेंगी।

(3) आवेदनों का रजिस्टर प्रत्येक कार्य दिवस की समाप्ति पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांचा और सत्यापित किया जायेगा।

(4) प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर, इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे सक्षम प्राधिकारी को, इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निपटारे के लिए, अग्रेषित करेगा। इस प्रकार अग्रेषित आवेदन सम्बन्धित नोडल एजेन्सी द्वारा मानीटर किये जायेंगे।

(5) सक्षम प्राधिकारी आवेदन पर कार्यवाही करेगा और इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर नोडल एजेन्सी को विनिश्चय से संसूचित करेगा।

(6) आवेदन, जिस पर सक्षम प्राधिकारी ने विहित समय-सीमा के भीतर कोई विनिश्चय लिया है, इस प्रकार लिया गया विनिश्चय आवेदनों के रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा और आवेदनों की प्रास्थिति नोडल एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित सशक्त समिति की आगामी बैठक में राज्य सशक्त समिति या, यथास्थिति, जिला सशक्त समिति को प्रस्तुत की जायेगी।

(7) आवेदन, जिस पर सक्षम प्राधिकारी विहित समय-सीमा के भीतर कोई विनिश्चय लेने में विफल रहा है, नोडल एजेन्सी आवेदन को राज्य सशक्त समिति या,

यथास्थिति, जिला सशक्त समिति के समक्ष संबंधित सशक्त समिति की आगामी नियत बैठक में विहित समय-सीमा के भीतर विचार करने के लिए रखेगी। यदि संबंधित सशक्त समिति बैठक करने में असमर्थ है या नोडल एजेन्सी द्वारा इसके समक्ष रखे गये आवेदन पर विचार करने में अन्यथा असमर्थ है तो नोडल एजेन्सी तुरन्त सम्बन्धित समिति के अध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत करेगी। ऐसी समिति का अध्यक्ष, कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, आवेदन पर विनिश्चय कर सकेगा और ऐसा विनिश्चय संबंधित समिति के समक्ष उसकी आगामी बैठक में रखा जायेगा। आवेदन पर अध्यक्ष द्वारा लिया गया विनिश्चय समिति के विनिश्चय के अधधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

(8) राज्य सशक्त समिति की नोडल एजेन्सी अनुकूलित पैकेज की मंजूरी के लिए शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए आवेदन प्राप्त करेगी और सम्बन्धित विभागों या प्राधिकारियों की टिप्पणियां मांगेगी। नोडल एजेन्सी, संबंधित विभागों या प्राधिकारियों से टिप्पणियों के लिए इन नियमों में यथा-विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात् अनुकूलित पैकेज के लिए आवेदन, प्राप्त टिप्पणियों के साथ और टिप्पणियां प्राप्त न होने पर भी, राज्य सशक्त समिति को प्रस्तुत करेगी।

5. सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर आवेदनों पर कार्यवाही और मानीटरी.—(1)

सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञा, अनापत्ति प्रमाणपत्र, अनुज्ञापन, आवंटन, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, अभ्यावेशन, अनुज्ञप्ति इत्यादि के लिए नोडल एजेन्सी से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् उन पर विचार करेगा और इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, आवेदक से ऐसी अतिरिक्त जानकारी अभिप्राप्त कर सकेगा जो वह विनिश्चय करने के लिए आवश्यक समझे। ऐसी अतिरिक्त जानकारी केवल एक बार अभिप्राप्त की जा सकती है और ऐसी जानकारी चाहने के लिए अध्यक्ष पत्र, आवेदनों की कार्यवाही के दोनों ही मामलों में अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक रूप से, नोडल एजेन्सी के माध्यम से भेजा जायेगा। आवेदक नोडल एजेन्सी को समय-सीमा की गणना करते हुए अतिरिक्त जानकारी भेजेगा, अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करते समय आवेदक द्वारा लिये गये समय की गणना नहीं की जायेगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट समय-सीमा में, आवेदन पर विनिश्चय करने के पश्चात् आवेदक विनिर्धानकर्ता को इससे संसूचित करेगा और 3 दिवस की कालावधि के भीतर सम्बन्धित नोडल एजेन्सी को ऐसी संसूचना की प्रति भेजेगा।

(4) ऐसे आवेदनों के मामलों में, जिनमें सक्षम प्राधिकारी विहित समय-सीमा के भीतर विनिश्चय करने में विफल रहा है, सक्षम प्राधिकारी आवेदन को, आवेदन पर

कार्यवाही के अभिलेख सहित, विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अवसान से तीन कार्य दिवस के भीतर, नोडल एजेन्सी को अग्रेषित करेगा।

6. आवेदनों पर कार्यवाही करने और उनके निपटारे के लिए समय सीमाएं:-

(1) आवेदनों पर कार्यवाही करने और उनके निपटारे के लिए समय-सीमाएं वे होंगी जो अनुसूची-1 या, यथास्थिति, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, इन नियमों से संलग्न अनुसूचियों को जोड़ सकेगी या उनका लोप कर सकेगी, या अन्यथा संशोधित या उपान्तरित कर सकेगी और तब अनुसूची तदनुसार संशोधित की गयी समझी जायेगी।

7. मानीटरी करना.-अनुज्ञाओं और/या अनुकूलित पैकेजों, रियायतों, छूटों या शिथिलीकरणों के आवेदनों पर कार्यवाही का प्रास्थिति प्रतिवेदन सम्बन्धित नोडल एजेन्सी द्वारा जिला सशक्त समिति और, यथास्थिति, राज्य सशक्त समिति के समक्ष रखा जायेगा।

8. राज्य सशक्त समिति और जिला सशक्त समिति की अधिकारिता.-(1) जिला सशक्त समिति ₹ 10.00 करोड़ तक के विनिधान प्रस्तावों की अनुज्ञाओं के लिए आवेदन पर विचार करने और उनके निपटारे के लिए सक्षम होगी।

(2) राज्य सशक्त समिति ₹ 10.00 करोड़ से अधिक के विनिधान प्रस्तावों की अनुज्ञा के लिए आवेदन पर विचार करने और उनके निपटारे के लिए सक्षम होगी।

(3) अनुकूलित पैकेजों, रियायतों, छूटों या शिथिलीकरणों के लिए समस्त आवेदनों पर राज्य सशक्त समिति द्वारा विचार किया जायेगा और यह समिति अपनी सिफारिशें मंत्रीपरिषद को प्रस्तुत करेगी।

9. प्रकीर्ण.-(1) ऐसे मामलों में जहां, इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आवेदक द्वारा अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय करने में विफल रहने के कारण, जिला सशक्त समिति द्वारा विनिश्चय लिया जाता है वहां जिला सशक्त समिति सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध, जो विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करने में विफल रहा है, समुचित कार्रवाई के लिए राज्य सशक्त समिति के माध्यम से सरकार को सिफारिश कर सकेगी।

(2) ऐसे मामलों में जहां आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुज्ञा के लिए आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय करने में विफल रहने के कारण राज्य सशक्त समिति द्वारा विनिश्चय लिया जाता है वहां राज्य सशक्त समिति सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध, जो विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करने में विफल रहा है, समुचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार कोई भी अन्य कृत्य, जो वह उचित समझे, राज्य सशक्त समिति और जिला सशक्त समिति को रामनुदेशित कर सकेगी।

10. शंकाओं का निराकरण.—यदि इन नियमों को लागू करने या इनके निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

अनुसूची-1

नियम 6 देखिए

विभिन्न अनुज्ञाओं/अनुज्ञापनों के लिए समय सीमा

क. सं. संबंधित विभाग/संगठन			अनुज्ञा/अनुज्ञापन	समय-सीमा (कार्य दिवसों के भीतर)
1	2	3	4	5
1.	श्रम और नियोजन विभाग 1. कारखाना और बायलर्स निरीक्षणालय	(क)	कर्मचारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की दृष्टि से परिसंकटमय उद्योगों के लिए स्थल अनुज्ञापन	पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 45 दिन
		(ख)	कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखाना अभिन्यास योजना का अनुमोदन	नक्शों सहित पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 30 दिन
		(ग)	फील्ड कार्यालय द्वारा कारखाना चलान के लिए जारी की जाने वाली अनुज्ञप्ति	पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के 45 दिन पश्चात्
		(घ)	मुख्य बायलर निरीक्षक द्वारा बायलर का रजिस्ट्रीकरण	पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के पश्चात्
		(i)	अन्तरिम आदेश	30 दिन
		(ii)	अंतिम आदेश	45 दिन

1	2	3	4	5	6
	2. श्रम विभाग	(क)	राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1958 के अधीन दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण		10 दिन
		(ख)	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अधीन अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण		10 दिन
		(ग)	बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम, 1966 के अधीन अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण		10 दिन
		(घ)	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन		
		(i)	प्रमुख नियोजक अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण		30 दिन
		(ii)	ठेका श्रमिकों के नियोजन के लिए ठेकेदार की अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना		10 दिन
		(ड)	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन 50 से अधिक श्रमिक रखने वाले अधिष्ठानों की अनुज्ञा		45 दिन
		(च)	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अधीन अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण		15 दिन
	2. वाणिज्यिक कर विभाग	(क)	मूपक अधिनियम, के अधीन रजिस्ट्रीकरण		24 घंटे

1	2	3	4	5	6
		(ख)		के.वि.क. अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण	24 घंटें
		(ग)		कर समाशोधन प्रमाणपत्र	कर संदाय के व्यतिक्रम न होने की दशा में 1 दिन
3.	तकनीकी शिक्षा विभाग	(क)		राज्य में आई.टी.आई. पॉलिटेक्निक, इंजिनियरिंग कॉलेज, एम.बी.ए., एम.सी.ए. संस्थाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार के विचार/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	विहित रूपविधान में ए.आई.सी. टी. ई.को आवेदन फाइल करने की सूचना की प्राप्ति से 30 दिन
4.	राजस्व विभाग	(क)		भूमि संपरिवर्तन- राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अधीन भूमि-उपयोग का संपरिवर्तन	
		(i)		10 हैक्टर तक	जिला कलेक्टर को पूर्ण आवेदन के प्रस्तुत करने से 30 दिन
		(ii)		10 हैक्टर से अधिक	राज्य सरकार को पूर्ण आवेदन के प्रस्तुत करने से 60 दिन

1	2	3	4	5	6
		(ख)		भूमि आवंटन-राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र भूमि आवंटन) नियम, 1959 के अधीन	
		(i)		जिला स्तर पर किये जाने वाले आवंटन की दशा में	जिला कलक्टर को पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने से 30 दिन
		(ii)		सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होने की दशा में	राज्य सरकार को पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने से 60 दिन
		(ग)		भूमि अधिकतम सीमा में छूट	जिला कलक्टर के कार्यालय में पूर्ण आवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख से राज्य सरकार के स्तर पर 60 दिन
5.	ऊर्जा विभाग (जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.)			विद्युत कनेक्शन का जारी किया जाना	
		(क)		25 किलोवाट भार तक के लिए	
		(i)		मांग नोटिस जारी करना	आवेदन की प्राप्ति से 21 दिन

1	2	3	4	5	6
			(ii) कनेक्शन का जारी किया जाना		मांग नोटिस के अनुपालन के पश्चात् 30 दिन यदि कोई संवर्धन अपेक्षित न हो, अन्यथा 45 दिन
			(ख)	25 किलोवाट से अधिक और 300 किलोवाट तक भार के लिए	
			(i)	मांग नोटिस जारी करना	आवेदन की प्राप्ति से 21 दिन
			(ii)	कनेक्शन का जारी किया जाना	मांग नोटिस के अनुपालन के पश्चात् 60 दिन
			(ग)	300 किलोवाट से अधिक और 2000 किलोवाट तक भार के लिए	
			(i)	मांग नोटिस का जारी किया जाना	आवेदन की प्राप्ति से 21 दिन
			(ii)	कनेक्शन का जारी किया जाना	मांग नोटिस के अनुपालन के पश्चात् 60 दिन
			(घ)	2000 किलोवाट से अधिक और 3000 किलोवाट तक भार के लिए	

1	2	3	4	5	6
			(i) मांग नोटिस का जारी किया जाना	आवेदन की प्राप्ति से 60 दिन	
			(ii) कनेक्शन का जारी किया जाना	मांग नोटिस के अनुपालन के पश्चात 60 दिन	
		(ड)	3000 किलोवाट से अधिक और 5000 किलोवाट तक भार के लिए		
			(i) मांग नोटिस का जारी किया जाना	आवेदन की प्राप्ति से 21 दिन	
			(ii) कनेक्शन का जारी किया जाना	मांग नोटिस के अनुपालन के पश्चात 120 दिन	
6.	पर्यटन विभाग	(क)	परियोजना अनुमोदन	पूर्ण आवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिन	
7.	रीको	(क)	उधार की मजूरी	40 दिन	
		(ख)	आधांगक क्षेत्रों में भूखण्डों का आवंटन	30 दिन	
		(ग)	इकाई कार्यालय स्तर पर—कृषि भूमि के भूमि उपयोग के संपरिवर्तन के संबंध में संबंधित प्राधिकारी को अनापत्ति प्रमाणपत्र का जारी किया जाना	15 दिन	

1	2	3	4	5	6
		(घ)		इकाई कार्यालय स्तर पर— आवंटिती द्वारा भूखण्ड के विक्रय की दशा में अनुज्ञा का अंतरण	15 दिन
		(ङ)		इकाई कार्यालय स्तर पर— भूखण्ड धारक की मृत्यु की दशा में अनुज्ञा का अंतरण	15 दिन
		(च)		इकाई कार्यालय स्तर पर— भूखण्डों का विलयन	15 दिन
		(छ)		इकाई कार्यालय स्तर पर— रद्द किये गये भूखण्डों का प्रत्यावर्तन	15 दिन
		(ज)		इकाई कार्यालय स्तर पर— किसी आवंटित भूखण्ड में अप्राधिकृत संनिर्माण का हटाया जाना	15 दिन
		(झ)		इकाई कार्यालय स्तर पर— भूमि की पट्टी/अधिक भूमि का आवंटन/विनियमितीकरण	15 दिन
		(ञ)		विकास प्रभारों के संदाय के लिए समय-अवधि का विस्तार इकाई कार्यालय स्तर पर— प्रधान कार्यालय स्तर पर—	15 दिन 25 दिन
		(ट)		आवंटित भूखण्ड का उपयोग करने (परियोजना को पूर्ण करने) के लिए समय-अवधि का विस्तार इकाई कार्यालय स्तर पर— प्रधान कार्यालय स्तर पर—	15 दिन 25 दिन

1	2	3	4	5	6
		(ठ)		आवंटित भूखण्ड के उप विभाजन की अनुज्ञा प्रधान कार्यालय स्तर पर -	45 दिन
		(ड)		किसी आवंटित भूखण्ड के भूमि उपयोग में संपरिवर्तन/ परिवर्तन प्रधान कार्यालय स्तर पर-	30 दिन
		(ढ)		सेट बैक में शिथिलीकरण इकाई कार्यालय स्तर पर- प्रधान कार्यालय स्तर पर-	15 दिन 30 दिन
8.	कृषि/कृषि विपणन विभाग	(क)		उर्वरक-निम्नलिखित के लिए अनुज्ञा प्राधिकार/ विनिर्माण प्रमाणपत्र क. उर्वरक-100 प्रतिशत जल विलय/सूक्ष्म कण मिश्रण ख. जैव-उर्वरक ग. कार्बोनिक उर्वरक - कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट (i) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धारा 9 के अधीन विक्रय प्राधिकार (ii) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धारा 15 के अधीन विनिर्माण प्रमाणपत्र	30 दिन 45 दिन
		(ख)		फिटो-सेनेट्री प्रमाणपत्र	प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् 5 दिन

1	2	3	4	5	6
9.	नगरीय विकास विभाग (ज.वि.प्रा./न.सु.न्या.)	(क)	कृषि भूमि की	90 बी	90 दिन
		(ख)	आवासीय से वाणिज्यिक में भूमि उपयोग का संपरिवर्तन		60 दिन
		(ग)	कृषि भूमि से अकृषिक भूमि में भूमि संपरिवर्तन		60 दिन
		(घ)	आवासीय/संस्थागत और वाणिज्यिक भूखण्डों के लिए पट्टा-विलेख का जारी किया जाना		26 दिन
		(ङ)	लॉटरी/नीलाम के माध्यम से भूमि आवंटन और नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के अनुदेश दिनांक 04-01-2010 के अधीन सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/संस्थाओं और अर्जित भूमि के लिए प्रतिकर के रूप में दी गई विकसित भूमि के आवंटन को छोड़कर संस्थागत भूमि का आवंटन		60 दिन
		(च)	500 वर्गमीटर से अधिक आवासीय भवनों के सिवाय सभी प्रकार के संस्थागत और वाणिज्यिक भवनों के भवन नक्शों का अनुमोदन		40 दिन
		(छ)	स्कीमों के अभिन्यास का अनुमोदन		60 दिन
		(ज)	निजी खातेदारी और विकास		20 दिन

1	2	3	4	5	6
				प्राधिकरण की स्कीमों में भूखण्ड के हक का अंतरण	
		(झ)		गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम में हक का अंतरण	20 दिन
		(ज)		1500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्डों का उप-विभाजन और पुनर्संगठन	25 दिन
		(ट)		500 वर्ग मीटर तक आवासीय भूखण्डों के संनिर्माण के लिए अनुमोदन	22 दिन
10.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय	(क)		औषधि अनुज्ञप्ति	
			(i)	थोक	15 दिन
			(ii)	खुदरा	15 दिन
		(ख)		गोज बैंडेज, कॉटन, रिपेकिंग का विनिर्माण	45 दिन

अनुसूची-2

नियम 6 देखिए

भाग-क

राज्य सशक्त समिति/जिला सशक्त समिति के लिए नोडल एजेंसी के लिए समय सीमा

क्र. स.	के लिए समय सीमा	समय-सीमा (कार्य दिवस के भीतर)
1	2	3
1.	विनिधानकर्ता से प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही	1 दिन
2.	सक्षम प्राधिकारी को आवेदन अग्रेषित करना	क्र.स. 1 पर उल्लिखित कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात् 5 दिन

1	2	3
3.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाही गयी अतिरिक्त जानकारी के अपेक्षित पत्र को अग्रेषित करना	1 दिन
4.	आवेदक से प्राप्त अतिरिक्त जानकारी की सूचना सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करना	1 दिन
5.	अनुज्ञा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु एजेन्सी	
	(i) ऐसे मामलों में विनिश्चय के लिए संबंधित सशक्त समिति के समक्ष जहां संबंधित सक्षम प्राधिकारी विहित समय-सीमा के भीतर आवेदन विनिश्चित करने में विफल रहा है।	नियम 5 (4) के अनुसार नोडल एजेन्सी को आवेदन की कार्यवाही के अभिलेख के साथ आवेदन की प्राप्ति से गणना कर 10 दिन
	(ii) संबंधित सशक्त समिति के अध्यक्ष के समक्ष यदि समिति बैठक करने में असमर्थ रही है या आवेदन पर तुरन्त विचार करने में अन्यथा असमर्थ रही है।	5 दिन
6.	रियायतों, छूटों या शिथिलीकरणों या अनुकूलित पैकेजों की मंजूरी के लिए आवेदन/अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी/संबंधित विभागों या प्राधिकारी से पूछे जाने वाले टिप्पण	आवेदन/अनुरोध की प्राप्ति से 2 दिन
7.	संबंधित सशक्त समिति को टिप्पणियां प्रस्तुत करना, यदि सक्षम प्राधिकारी/संबंधित विभाग या प्राधिकारी के लिए विहित समय-सीमा के भीतर, प्राप्त हुई हों/नहीं हुई हों	5 दिन

भाग-ख

मंत्री परिषद् को सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए राज्य सशक्त समिति के लिए समय-सीमा

क्र. सं.	के लिए समय-सीमा	समय-सीमा (कार्य दिवस के भीतर)
1.	मंत्री परिषद् को रियायतों, छूटों या शिथिलीकरणों या अनुकूलित पैकेजों की मंजूरी के लिए आवेदन/प्रार्थना पर सिफारिशें प्रस्तुत करना	30 दिन

भाग-ग

रियायतों, छूटों या शिथिलीकरणों या अनुकूलित पैकेजों की मंजूरी के लिए आवेदन/अनुरोध पर नोडल एजेन्सी से पूछे गये टिप्पण प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी/संबंधित विभागों या प्राधिकारी के लिए समय सीमा 25 कार्य दिवस होगी।

भाग-घ

यदि सक्षम प्राधिकारी विहित समय-सीमा में कोई विनिश्चय लेने में विफल रहता है तो राज्य सशक्त समिति/जिला सशक्त समिति के लिए अनुज्ञाओं/अनुज्ञापनों के लिए आवेदन पर कार्यवाही करने की समय-सीमा 30 कार्य दिवस होगी जिसकी गणना नियम 5(4) के अनुसार नोडल एजेन्सी को आवेदन पर कार्यवाही के अभिलेख के साथ आवेदन की प्राप्ति से की जायेगी।

प्ररूप-1

नियम 3 (4) देखिए

स्व-प्रमाणन

मैं/हम पुत्र
निवासी और मैं
मैसर्स का प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता इसके द्वारा निम्नलिखित कथन करता हूँ/हैं :-
1. कि मैंने/हमने राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और
अनुज्ञापन अध्यादेश, 2010 के उपबंधों के अधीन
के लिए आवेदन किया है।

143(18)

राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 26, 2011

भाग 4 (ग)

2. कि मैंने/हमने समस्त सुसंगत विधियों का अध्ययन कर लिया है और उसका पालन करने का जिम्मा लेता हूँ।

के सहायी प्रक) तमसि-प्रमस	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(प्रतिनिधि)	
स्थान : फ्री 08	मैसर्स
तारीख :	के लिए
	प्ररूप-2
	नियम 4 (1) देखिए

द्वारा अभिस्वीकृति

रसीद स. / रजिस्ट्रीकरण आई.डी.

दिनांक :

मैसर्स

से

निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ

के लिए आवेदन प्ररूप प्राप्त किया :-

1. कि निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ
2. निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ
3. निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ
4. निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ

इत्यादि

प्रतीक (A) 8 तमसि

नियम-प्र

प्राधिकृत अधिकारी के मुद्रा

सहित हस्ताक्षर

मैसर्स

तक

[संख्या एफ. 14 (5) उद्योग/1/2010]

राज्यपाल के आदेश से,

श्याम लाल गुर्जर,

शासन उप सचिव।